[Mr. Speaker]

after line 8, *insert*—

'(1A) for clause (11A), *substitute*—

"(11A) the acting as agent for the Central Government,—

(a) in guaranteeing the due performance by any small-scale industrial concern, approved by the Central Government, of its obligations to any bank or other financial institution in respect of loans and advances made, or other credit facilities provided, to it by such bank or other financial institution and the making as such agent of payments in connection with such guarantee, and

(b) in administering any scheme for subsidising the rate of interest or other charges in relation to any loans or advances made or other credit facilities provided, by banks or other financial institutions for the purpose of financing or facilitating any export from India and the making as such agent of payments on behalf of the Central Government;".'. (29).

(*Shri Morarji Desai*)

MR. SPEAKER : The question is :

"That Clause 24, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 24, *as amended, was added to the Bill.*

MR. SPEAKER : The question is :

"That Clause 25 to 30 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 25 *to* 30 *were added to the Bill.*

MR. SPEAKER : The question is :

"That Clause 1, the Enacting Formula and the Title stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 1, *the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.*

SHRI MORARJI DESAI : I beg to move :

"That the Bill, as amended, be passed."

MR. SPEAKER : The question is :

"That the Bill, as amended, be passed."

The motion was adopted.

17.30 HRS.

PUBLIC PREMISES (EVICTION OF UNAUTHORISID OCCUPANTS) BILL—*Contd.*

MR. SPEAKER : The House will now take up further consideration of the following motion moved by Shri Jagannath Rao on the 2nd August, 1968, namely :—

"That the Bill further to amend the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1958, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

Shri Randhir Singh to continue his speech.

श्री रणधीर सिंह (रोहतक): अध्यक्ष महोदय, अभी उस रोज पब्लिक प्रीमिसेज (एविक्शन आफ़ अनएथोराइज्ड आकुपेंट्स) अमैंडमैंट बिल के क्लाज नम्बर 4 के 10 ई० में यह जो बार ओफ जुरिस्डिक्शन है वह एक बड़ा खराब प्राविजन है ऐसा मैंने उस दिन बोलते हुए कहा था। इस से खास तौर पर वह लोग जो कि मकान वाले हैं, किसान हैं जिनके कि पास जमीन है या मकान का कब्जा है उन के साथ इस से बड़ी ज्यादती होगी।

इस के मातहत जिस आदमी के खिलाफ़ एक दफ़ा ऐक्शन ले लिया जायेगा वह कहीं कौम्पीटेंट कोर्ट में नहीं जा सकेगा। यह फंडामेंटल राइटस के भी खिलाफ़ बात है कि समरी मैनर में जिस आदमी की दरख्वास्त ठुकरा दी जाए वह कहीं दीवानी अदालत के सामने

या सुपीरियर कोर्ट के सामने नहीं जा सकेगा। यह एक ऐसी बात है जिससे कि अवाम के हकूक को एक बड़ा ज़बरदस्त धक्का लगेगा।

इस बिल के क्लाज 2 को यदि आप देखेंगे तो पायेंगे कि पब्लिक प्रीमिसेज़ के मातहत अगर एक दफा गवर्नमेंट को या कम्पनी को, कारपोरेशन को, म्युनिसिपल कमेटी को, टाउन एरिया कमेटी को या डी० डी० ए० को एक दफे मिलिकियत मिली जायेंगी, एक दफ़े उस के हकूक मिल जायेंगे, एक दफ़े यह पट्टेदार बन जाएगी, या उन को रैक्वीज़ीशन मिल जाएगा ज़मीन का तो समरी मैनर में किसी वक्त भी किसी दुकानदार को या किसान को जोकि अपनी ज़मीन का मालिक है उसे उस से बदखल कर सकेंगे। इस से लाखों आदमियों के हकूक पर असर पड़ेगा। मैं एक मिसाल देकर अपनी बात को ज्यादा वजनदार बनाना चाहता हूं और वह यह है कि दिल्ली शहर में जो हमारे पीड़ित भाई हैं. पाकिस्तान से उजड़े हुए भाई हैं, राजेन्द्रनगर कालोनी में बसते हैं, वह लाखों की तादाद में ऐसे हैं. मैं ने तो एक कालोनी का जिक्र किया है दिल्ली में बहुत सी कालोनियां ऐसी हैं जहां कि मगरबी पन्जाब से और मशरिकी पाकिस्तान से भी पीड़ित भाई आकर बसे हैं। गवर्नमेंट ने उन के लिए मकान बनाये, दुकानें बनाई। कई ऐसे मुहल्ले हैं जहां रिहायश का गवर्नमेंट ने इंतज़ाम किया है जैसे राजेन्द्रनगर में रिहायश के लिए उस ने मकानात बनाए हैं। हुकूमत ने उन में उन को आबाद किया और उन को लैसी राइट्स दिए, उन्हें 99 साल की लीज़ पर दिया। उन पीड़ित भाईयों ने, उन गरीबों ने अपना काम चलाने के लिए, अब उन में दुकानदार भी हैं, छोटी तनख्वाह के आदमी भी हैं. छोटी आमदनी के आदमी हैं, ऐसे लोगों ने अपने रहने के मकान को कई जगह दुकानों में तबदील कर लिया है और जिस कमरे में वह रहते हैं जिस घर में वह रहते हैं उस के कुछ हिस्से को उन्होंने दुकान के लिए इस्तेमाल किया। अब उस को यह डी०डी०ए० कहती है कि यह मिस्यूज़ है और उस के लिए इस बिल में एक बुरा और खतरनाक प्राविज़न भी है और वह यह कि अगर मिस्यूज़ के तहत उन के ऊपर थोड़ी बहुत कौस्ट पड़ जाए या उन के ऊपर कुछ जुर्माना हो जाए और वह भाई अगर जुर्माना या कौस्ट न दें तो उस के तहत उन का वह 99 साल का पट्टा भी खत्म किया जा सकता है। यहां डी०डी०ए० में एक अफसर हैं और डैवलपमैंट मिनिस्टर रहे हैं वह खुद इस बात का नोटिस लें कि ऐसा प्राविज़न रख कर यह एक तरह से उन गरीबों की तबाही का बिल रक्खा गया है। सैकड़ों नहीं हजारों इस किस्म की कोठियां हैं जहां कि एक हिस्से में हमारे वह पीड़ित गरीब भाई रह रहे हैं और दूसरे हिस्से में उन्होंने दुकानें आदि कर रक्खी हैं। अब उन से कहिए कि तुम चूंकि अपने मकान को बतौर दुकान के इस्तेमाल कर रहे हो, मकान को कमर्शियल परपज के लिए इस्तेमाल कर रहे हो इसलिए तुम्हारा पट्टा क्यों नहीं मंसूख कर दिया जाए और तुम्हें वहां निकालकर पटड़ी या सड़क पर क्यों न डाल दिया जाए?

अध्यक्ष महोदय, यह जो हमारे वहां से उजड़े हुए पीड़ित भाई हैं उन्होंने इस देश की आज़ादी की खातिर इतनी बड़ी कुर्बानी की है कि हमें उन पर फक्र है। मैं इस से इंकार नहीं करता कि सरकार ने उन को यहां पर बसने और आबाद होने में मदद की और वह उस मदद से और अपनी सख्त मेहनत से अपने पैरों पर खड़े भी हुए और वह इस क़ाबिल हुए कि वह अपने बच्चों का पेट पाल सकें और आज वह समाज में अपना योग्य स्थान हासिल कर सकें लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हुकूमत इस बिल के तहत दुबारा फिर उन्हें तबाह करने जा रही है। मैं आप से खास तौर पर कहना चाहता हूं कि अव्वल तो यह भी एक ज्यादती है कि गवर्नमेंट जमीन से बेदखल करा सकती है, इस बिल में यह है कि अगर गवर्नमेंट मालिक बन जाये तो वही बेदखल नहीं करा सकती, बल्कि

[श्री रणधीर सिंह]

अगर वह पट्टेदार बन जाये और उस को तहत किसी जगह को रिक्विजिशन कर ले तो वह भी इस बिल को प्राविजन्स की ऐट्रैक्ट करती है। कोई आदमी या गवर्नमेंट या कोई कम्पनी या कोई कारपोरेशन या म्युनिसिपल कमेटी या टाउन एरिया कमेटी अगर मालिक नहीं है, वह लेसी भी है या वह जमीन को किसी तरह से गवर्नमेंट की मार्फत रिक्विजिशन कर ले, तो वह भी बतौर लैंड ओनर के टेनैन्ट को बेदखल करा सकेगी । आप को कानून का ज्ञान है। अगर लैसी किसी को लीज कर दे, सब-लेसी बनाए तो सब-लेसी को भी हक होगा कि वह किसान या दूकानदार को बेदखल कर सकता है। मेरे ख्याल में इस से ज्यादा तबाही की और कोई बात नहीं हो सकती है।

मैं खास तौर से इस बात को इस लिए कहना चाहता हूं कि इस में अनलिमिटैड पावर्स दी गई है। अगर गवर्नमैंट के लिए या किसी पब्लिक परपज के लिए हो या किसी देश के काम के लिए हो, डिफेन्स के लिए हो तो मैं इस को मान सकता हूं, या किसी ऐसी चीज से लिए हो जिस से कम्यूनिटी को फायदा हो तो भी मैं इसको मान सकता हूं, लेकिन लाखों आदमियों को एक डंडे से हांकना और उन को उखाड़ कर मकानों या जमीनों से बाहर फेंक देना मैं समझता हूं कि बड़ी भारी प्राब्लेम होगी। देखने में यह चीज छोटी सी नजर आती है, लेकिन यह बिल बड़ी तेज तलवार है जिस से लाखों नहीं करोड़ों आदमियों का न जाने क्या हाल होगा। मैं इस को एक कानूनी नुक्तेनजर से देखता हूं। यह देहात में भी ऐप्लिकेबल होगा। मान लीजिए कि एक किसान की जमीन को या गांव की शामिलात जमीन को गवर्नमेंट ने पट्टे पर ले लिया और दूसरे डिपार्टमेंट को पट्टे पर दे दिया, तो भले ही वह जमीन यों की यों बेकार पड़ी रहे, लेकिन गांव के फायदे के लिए वह नहीं ली जा सकती क्योंकि वह लेसी की हो गई। अगर कोई गांव की पंचायत भी उस पर कब्जा करना चाहे तो इस कानून की तहत चाहे फारेस्ट डिपार्टमेंट हो चाहे पी० डब्लू० डी० हो, वह पकड़ कर गांव के सरपंच को बाहर फेंक देगा।

गांव की जमीन का मालिक कोई नहीं होता है, उस को मालिक मुश्तर्का बिरादरी बनती है, लेकिन यह वगैर फेरे के खसम हो गए वगैर किसी हकूक के मालिक। और गवर्नमेंट भी उन की मदद को आ जाती है। एक गाँव की नहीं, सैंकड़ों मिसालें हैं, मैं खुद वकील हूं इसलिए जाती तजुर्बे की बिना पर कहता हूं कि यह जो बिल है इस से लाखों नहीं करोड़ों किसान तबाह होंगे। मेरे फाजिल दोस्त ने रिक्विजिशन ऐंड ऐक्विजिशन के बारे में बतलाया था। आप जरा दुबारा इस बिल को पढ़ें। इस के क्लाज 2, सब-क्लाज (बी) में लिखा है कि **टेकेन आन लीज आर रिक्विजिशन्ड बाई**। इस से यह हो जायेगा कि किसी को जमीन वापस नहीं मिलेगी। इस से हजारों किसानों का नुकसान हो जायेगा। इस के बारे में मैंने खास तौर पर राजेन्द्रनगर के टेनेन्ट्स और दूकानदारों की मिसालें दीं। मैं यह बात पूरे जोर से दुबारा कहूंगा कि इस बिल में जहां स्वीपिंग पावर्स है वहां पर इस में बहुत सी खामियां भी हैं। मैं समझता हूं कि इस बिल के लाने से बड़ा नुकसान होगा, खास तौर से गरीब लोगों का।

पहले भी मैंने कहा था कि कोई ऐक्विजिशन कमेटी बनी है जमीन की अभी उसकी रिपोर्ट नहीं आई है। उस के आने के बाद जब तक उस रिपोर्ट का ओवर-आल असेस्मेंट न हो जाए उस वक्त तक इस बिल को आप इलतवा में डालिए इस को पोस्टपोन किया जाये और कोई यूनिफार्म पालिसी सारे देश के लिए बनाई जाए उसके तहत इस काम को किया जाए।

आखीर में यह बात कह कर मैं खत्म करूंगा कि इस में खास तौर पर किसी कारपोरेशन की बात हो तो समझ में आ सकती है, उस को भी छोड़ कर कम्पनी को अख्तयार दिया जा

रहा है। गवर्नमेंट की बात समझ में आ सकती है, उस का जस्टिफिकेशन मैं मान सकता हूं, लेकिन मिनिस्टर साहब यह अनलिमिटेड अख्त्यार कम्पनी को दे रहे हैं, उन लोगों को दे रहे हैं जो छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं जिन के अपने वेस्टेड इंटररेस्ट हैं। ऐसा क्यों होना चाहिए? कारपोरेशन हो, म्यूनिसिपल बाडी हो, उस की बात समझ में आ सकती है, टाउन एरिया कमेटी, डी० डी० ए० की बात समझ में आ सकती है, लेकिन इस में बीच में कम्पनी को लाया गया है, यह बात मेरी समझ में नहीं आई। सिर्फ इसलिए कि कम्पनी में 51 परसेंट शेअर गवर्नमेंट के होंगे, मैं कतअन इस से इत्तफाक नहीं करता। जहां तक जनता का ताल्लुक है, गरीब लोगों का ताल्लुक है, अगर कोई किसान है या मजदूर है, तो वह पहले है, बाकी वेस्टेड इंटरेस्ट बाद में आते हैं, अगर किसी कम्पनी के लिए लाखों आदमियों का नुकसान होता है तो हम को उस को पहले देखना होगा।

पहले मैं इस पर अपने ख्यालात जाहिर कर चका हूं। अब मैं आप की मार्फत सरकार से कहना चाहता हूं कि इस में बहुत सी बातें बेकायदे की हैं। जैसे कि 10 ई० में जो यह पावर्स दी गई है कि बेदखल करा सकेंगे अगर किसी का अनआथराइज्ड अकुपेशन हो, या रैन्ट के एरियर्स हों, या डैमेजेज़ बाकी हों। यह छोटे मोटे काज़ेज हैं, इन में से किसी चार्ज की तहत जमीन से आप किसी को भी निकाल सकेंगे। यह देहात के लिए बहुत नुकसानदेह बिल है क्योंकि इस से लाखों नहीं करोड़ों आदमियों पर असर पड़ेगा। मैं चाहूंगा कि मिनिस्टर साहब इस पर दुबारा गौर करें और जब तक सारे देश के लिए कोई कम्प्रिहेन्सिव चोज न आ जाये उस वक्त तक इस को प्रैस न करें।

श्री हरदयाल देवगुण (पूर्व दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। अभी इस से पूर्व एक बिल का हम ने इस आधार पर विरोध किया है कि सरकार ट्रेड यूनियन्स के क्षेत्र में पुलिस राज स्थापित करना चाहती है। अब ऐसा लगता है कि वह एक ही क्षेत्र में नहीं, अन्य क्षेत्रों में भी पुलिस राज स्थापित करना चाहती है। इस के लिए वह कृत संकल्प है। इस बिल में दो मौलिक बातें आई हैं, जिस की पृष्ठभूमि, मुझे विश्वास है, मन्त्री महोदय को मालूम होगी। इस बिल के द्वारा दो मुख्य बातें वे मूल अधिनियम में रखने की चेष्ठा कर रहे हैं। एक तो यह कि सरकारी कम्पनियों को भी उसी प्रकार से भूमि हासिल करने का अधिकार होगा और किराया वसूल करने का अधिकार होगा जिस प्रकार से दिल्ली डेवेलपमेंट अथारिटी, म्यूनिसिपल कारपोरेशन और पब्लिक संस्थाओं को है। दूसरी खराब बात इस में यह रक्खी गई है कि उन जमीनों को हासिल करने के बारे में, जमीनों का किराया हासिल करने के बारे में और उस पर लगाए हुए तावान को वसूल करने के बारे में वहां बैठे हुए लोगों को किसी भी अदालत में जाने का अधिकार नहीं होगा। मैं नहीं समझता हूं कि अगर यह अधिकार नहीं देना है तो यह सारी अदालतें, दीवानी अदालतें कायम किस लिए की गई हैं। एक व्यक्ति को यह अधिकार दिया जाए कि वह यह निर्णय कर ले कि कौन अनआथराइज्ड अकुपेंट है, अनाधिकार बैठा हुआ आदमी है, और किस को उसे किराया देना है, कितना उस पर तावान लगाना है, और उस आदमी के फैसले के खिलाफ किसी भी दीवानी अदालत को सुनावाई करने का अधिकार न हो, मैं समझता हूं कि यह बात लोकतन्त्र की मूल भावना के सर्वथा विपरीत है, और इस देश में इस बात की कभी भी इजाजत नहीं दी जा सकती कि इस प्रकार का अधिकार सरकार स्वयम् ले ले या किसी भी और आदमी को दे दे।

हम ने दिल्ली में देखा है कि दीवानी आदलतें होने के बावजूद, अफसरों के खिलाफ अपील करने के अधिकार के प्राप्त होने के बावजूद

[श्री हरदयाल देवगुण]

उन अफसरों ने, चाहे वह कारपोरेशन के हों चाहे वह दिल्ली डेवेलपमेंट अथारिटी के हों चाहे वह केन्द्रीय सरकार के हों या लैंड ऐंड डेवेलपमेंट अफसर के महकमें के हों, उन्होंने कितनी अन्धेरगर्दी मचा रक्खी है। आज दिल्ली के हजारों लोग इस बात से त्राहि त्राहि कर रहे हैं, जैसे कि राजेन्द्रनगर की घटनाओं के बारे में माननीय सदस्य ने कुछ बातें सदन के सामने रखी हैं।

आज सरकार ने दिल्ली में सारी ज़मीन ले ली है और उसने दिल्ली के सभी लोगों को लैंसी बना दिया है। अब उनको सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों पर ही वहां रखा जा सकता है। इन शर्तों से इधर उधर होने पर उनेक पट्टे कैंसल हो सकते हैं, उन पर तावान पड़ सकता है। तावान भी जितना सरकार चाहे डाल सकती है। राजेन्द्र नगर की बात को आप लें। अगर वहां पर दुकानें चलाने की आज्ञा नहीं थी तो आपको चाहिए था कि आप दूकानें चलाने मत देते। लेकिन उन पर कई गुना तावान डाल कर अगर दूकानों चलाने की इजाज़त दी जा सकती है तो मेरी समझ में नहीं आता है कि इससे क्या विशेष लाभ है। अगर कोई इसका रिहायशी इलाका है और वहां पर दूकान नहीं डाली जा सकती है, फैक्टरी नहीं लगाई जा सकती है और आप लगाने नहीं देते हैं तो यह बात तो समझ में आ जाती है। लेकिन यह बात समझ में नहीं आती है कि तावान ले कर वहां पर उस चीज़ को चलने दिया जाए। इसका उद्देश्य सिवाय लोगों को परेशान करने के दूसरा नहीं है, गरीब लोगों को अकारण तंग किया जाता है।

दिल्ली में एक लैंड डिवेलेपमेंट का महकमा है। इसने दिल्ली में हाहाकार मचा रखा है मैं नहीं समझता कि किसी भी अफसर को यह अधिकार दिया जाए कि वह जिस किसी को चाहे निकाल दे, जितना चाहे तावान डाल दे और जितना चाहे किराया वसूल करे। इतना ही नहीं उसके निर्णय के खिलाफ किसी को भी किसी किस्म की अपील करने की इजाजत न हो, इसको मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं।

अब आपने कारपोरेशंज को ही नहीं कम्पनियों को भी यह अधिकार दे दिया है। आप देखें कि कम्पनियों की बेशुमार फेक्ट्रियां दूर दराज़ इलाकों में, बस्तियों के परे बनी हुई हैं। वहां पर लोगों ने जा कर झूगिंयां और झोंपड़ियां डाल ली हैं। किसानों की ज़मीन भी है तो वहां पर वे बैठ गए हैं। अब सरकार किसी को भी कम्पीटेंट आथारिटी मूकर्रर करके उस आथोरिटी को उन ज़मीनों को लेने का अधिकार दे सकती है और इन आथोरिटीज़ के खिलाफ किसी को भी सिविल कोर्टस में जा कर अपील करने की इजाज़त नहीं होगी। यह कम्पीटेंट आथोरिटी तहसीलदार हो सकता है या मैनेजर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। इस तरह से लोगों पर जो अत्याचार और अनाचार होंगे उनका अन्दाज़ा सहज में ही लगाया जा सकता है। इस वास्ते मैं कहूंगा कि इस देश में कोई भी ऐसा कानून बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है जिस में सुनवाई का या अपील करने का अधिकार न दिया गया हो। इस वास्ते में समझता हूं कि यह बिल लोकतन्त्र के और रूल आफ ला के खिलाफ जाता है, उसकी मूल भावना के सर्वथा विपरीत है और में इसका घोर विरोध करता हूं। में प्रार्थना करता हूं कि इस बिल को इस सदन को पास नहीं करना चाहिए।

SHRI D. N. TEWARY *rose*—

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi Sadar) : Sir, it mainly concerns Delhi and there are thousands of people who are adversely affected by this Bill. So you should give a chance to Members from Delhi.

MR. SPEAKER : I cannot confine it only to Delhi people. Other parties also should be given a chance.

श्री द्वा० ना० तिवारी (गोपालगंज): मैंने समझा था कि यह बिल बहुत ही मामुली

सा है, साधारण सा है और इससे वही लोग इफैक्टिड होंगे जो सरकारी ज़मीनों पर या सरकारी मकानों में दखल किए हुए होंगे और जो उनको छोड़ते नहीं होंगे। दो दिन जो इस पर बहस हुई है उसको मैंने सुना है। मैं अभी तक भी कनविंस नहीं हुआ हूं कि इस में कोई दूसरा भी अर्थ हो सकता है। बहुत से यहां पर उदाहरण दिए गए हैं। उन से ऐसा मालूम होता है कि इस कानून का मंशा एविकशन का न रह कर एक्विज़िशन और रिक्विज़िशन का हो गया है। दूसरे बिल पर भी अभी हाल ही में बहस हुई थी। इसलिए लोगों के दिमागों में अभी भी वही चला आ रहा है। लेकिन दरअसल बात ऐसी नहीं है। इसका मुझे भी कुछ अनुभव है। जितनी भी गवर्नमेंट फैक्ट्रीज़ हैं वहां यदि अनआथोराइज्ड तरीके से कोई मकान में रह गया है तो वह उसको छोड़ता ही नहीं है। लोग उपाय करके हार जाते हैं, तीन चार या पांच बरस तक मुकदमे भी चलते हैं लेकिन लोगों को हटाया नहीं जा सकता है। हटिया में हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन है। वहां न केवल मकानों में लोग रहते हैं बल्कि उन्होंने मवेशी भी पाले हुए हैं अनआथोराइज्ड तरीके से और सब जगह वे उन मवेशियों को छोड़ देते हैं, जितने बगीचे हैं उनको वे मवेशी नष्ट करते हैं, सड़कों को नष्ट करते ही हैं, लेकिन कोई रोकटोक उन पर नहीं होती है। जिन लोगों को मकान दिए गए हैं या जिन्होंने किसी तरह से दखल कर लिया है, उनको अगर वहां से हटाया जाए तो यह ठीक है कि उनको तकलीफ होगी, कुछ असुविधायें होंगी। लेकिन यह कहां का न्याय है कि मकान किसी दूसरे का लिया किसी दूसरे ने और कोई तीसरा आदमी आकर उस पर कब्जा जमा कर बैठ जाए। हम लोग भी अगर किसी को किराए पर अपना मकान देते हैं और वह किराया नहीं दे रहा होता है या वह तंग करता है या मकान को खराब करता है तो उसको हटाना चाहते हैं पर उसको जल्दी हटा नहीं सकते हैं। कोर्ट का हमें अनुभव है। इसलिए मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट के हाथ में ऐसी शक्ति होनी चाहिए कि उसकी जमीन पर कोई जबर्दस्ती अगर आ कर बैठ जाए या किसी को वह जमीन अगर लीज पर दी गई है और जितने समय के लिए दी गई है वह समय व्यतीत हो चुका हो या जिस काम के लिए उसको वह जगह दी गई है उस काम को न करके उसका दुरुपयोग कर रहा हो, तो उसको वह हटा सके। यह दूसरी बात है कि अगर उसको वहां से हटाया जाना नाजायज है तो उसको सिविल सूट में जाने का और केस करने का हक हो। मैं इसको मानता हूं। नाजायज तरीके से यदि उसको हटाया जाए और गवर्नमैंट को उस जगह की आवश्यकता नहीं है और फिर भी वह उस जमीन को रखे हुए है, या गवर्नमेंट नाजायज तरीके से उसको रिक्विज़िशन कर लेती है और उसे वहां से हटा देती है तो गवर्नमेंट के खिलाफ केस किया जाए, गवर्नमेंट पर दावा किया जाए। मैं इसको मानता हूं लेकिन गवर्नमेंट की प्रापर्टी है या गवर्नमेंट ने उस प्रापर्टी को रिक्विज़िशन किया हुआ है और रिक्विज़िशन का काम मुकम्मिल हो गया है या गवर्नमेंट का मकान हो और उस पर दूसरे लोग बैठ जाएं तो उस अवस्था में गवर्नमेंट को उनको हटाने का अख्त्यार न हो तो मैं नहीं समझता हूं कि कहीं भी किसी भी गवर्नमेंट का कोई काम दुरुस्त हो सकेगा, गवर्नमेंट का कोई भी मकान या ज़मीन सुरक्षित रह सकेगी।

मेरे मित्र रणधीर सिंह जी ने कहा है कि लोगों को बड़ी तकलीफ होगी। राजेन्द्र नगर का जिक्र भी यहां आया है। जो मकान लीज में लिए गए हैं और लीज़ की शर्तों के खिलाफ वहां दुकान की जाती है और यह साफ है कि वहां दुकान नहीं की जा सकती है, तो इसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। यह तो होना ही चाहिए कि सब जगह दुकानें न हों। एक रसोई घर हो और अगर वहां पर मवेशी बांध दिए जायें या पाखाना घर बना दिया जाए तो इसकी इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए।

[श्री द्वा० ना० तिवारी]

जहां रेजीडेंशल क्वार्टर हैं वे रेजीडेंशल क्वार्टर के तौर पर ही इस्तेमाल होने चाहिएं। जहां दुकानों की जमीन है या जहां दुकानें हैं वहां दूकानें ही होनी चाहिएं। अगर एक शर्त पर जमीन ली जाती है और उस शर्त का पालन न करके उस का दुरुपयोग किया जाता है तो जो लीज़ देता है उसको राइट होना चाहिए कि वह उस लीज़ को कैंसल कर दे, या उसको वहां से हटा दे। अगर ऐसा न हो और सब जगह दुकानें हो जायें तो सब जगह इनसे निटरीकंडिशंज़ प्रिवेल करने लग जायें और कहीं कोई ठीक तरह से नहीं रह सकेगा।

आप इन लाउड स्पीकर्ज़ की बात को ही लें। जहां रेजीडेंशल क्वार्टर्ज़ हैं वहां बाजार लगते हैं और लाउड स्पीकर्ज़ का उपयोग किया जाता है। वहां आदमी सो नहीं सकता है, वह तबाह हो जाता है। इसलिये मैं समझता हूं कि अभी तक का जो हमारा अनुभव है उस में तो यह कोई नाजायज़ बिल हमें नहीं लगता है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि इसको बरतने में ज़रा सा न्यायबुद्धि से काम आपको लेना होगा।

एक दूसरी बात भी है। हम लोगों के दिमाग में यह भरा हुआ है कि यह गवर्नमेंट ऐसी है कि जिस को पागल कुत्ते ने काट रखा है और जो भी काम यह गवर्नमेंट करेगी वह पब्लिक को नुक्सान पहुंचाने के लिए करेगी, उसको परेशान करने के लिए करेगी। जो भी कानून यह पास करेगी इसी मंशा से करेगी कि लोगों को तकलीफ हो। मैं नहीं समझता कि यह दृष्टिकोण ठीक दृष्टिकोण है। जो भी सरकार लोकतन्त्र में सत्तारूढ़ होती है वह लोगों के समर्थन से ही होती है। यदि लोगों का समर्थन उसको मिलना बन्द हो जाए और वह पागल कुत्ते की तरह आचरण करना शुरू कर दे तो कितने दिन तक वह टिक सकती है। अगर लोगों के हित के काम वह न करे और यह न देखे कि लोग क्या चाहते हैं और उसकी वह पूर्ति करे तो वह कितने दिन तक चल सकती है। अगर सरकार मनमानी बातें करे तो वह टिक नहीं सकती है। आखिर किसी कानून को अमल में लाने के लिए किसी को अधिकार तो देना ही होगा और वह किसी अफसर को या अधिकारी को ही दिया जा सकता है और वह अफसर या अधिकारी गवर्नमेंट का नौकर ही हो सकता है, एम्पलायी ही हो सकता है। अगर शुरू से ही अविश्वास की भावना ले कर सरकार चले और यह कहे कि कोई भी सरकारी अफसर ठीक तरह से काम ही नहीं करेगा तो काम चल ही नहीं सकता। अध्यक्ष महोदय आप यहां बैठे हुए हैं। अगर आपकी लोक सभा के सभी एम्पलायज़ीज के खिलाफ यह धारणा हो जाए कि वे ठीक काम नहीं करेंगे तो आपका काम चल ही नहीं सकेगा। इसी तरह से अगर गवर्नमेंट अपने मुलाज़िमों के बारे में यह सोचने लग जाए कि वे ठीक काम करेंगे ही नहीं तो वह गवर्नमेंट चल ही नहीं सकेगी। जहां जहां भी कांग्रेसी सरकारें नहीं थी, और विरोधी दल की सरकारें थीं, संविद की सरकारें थी वहां भी हमने यह देखा है कि वहां के अफसर नाजायज़ रिपोर्ट भी दे देते थे तो उसी रिपोर्ट को वहां के मन्त्रीगण असैम्बली में ला कर पेश कर देते थे और जवाब देते थे कि यह सही रिपोर्ट है। कभी नहीं कहते थे कि गलत रिपोर्ट है। जब विरोधी दल वाले मालिक हो जाते हैं, सरकार में आ जाते हैं तब तो रिपोर्ट ठीक हो जाती है, एम्प्लायीज़ भी ठीक हो जाते हैं, उनके द्वारा दी गई रिपोर्ट भी ठीक हो जाती है लेकिन अगर कांग्रेस की सरकार है तो उसके सब एम्प्लायीज़ गन्दे हैं, झूठे लिखते हैं और लोगों को तबाह करते हैं, यह हमारे विरोधी दल वालों की भावना रहती हैं। यदि यह मनोवृत्ति रहे तो कोई भी राज्य चल नहीं सकता है। हम लोगों को विश्वास करना होगा। यदि कोई गल्ती करता है तो उसको प्वाइंट आउट किया जाए, अगर कोई अफसर मिनिस्टर की बात को नहीं सुनता है तो उसको प्वाइंट आउट किया जाए और उस अफसर के खिलाफ एक्शन हो। तब उस सूरत में हम इस गवर्नमेंट

के खिलाफ सेंशर लायें, इसको हटा दें। लेकिन जब तक यह साबित न हो जाए कि इम्प्लायी दिक करता है या झूठी रिपोर्ट देता है तब तक हम को उस पर विश्वास करना होगा।

अगर हम उन पर विश्वास नहीं करते हैं, तो न राज्य चल सकता है और न व्यवस्था चल सकती है। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि हर एक बिल को ऐसे दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए कि जैसे उस में तबाही की बात छिपी हुई है। यह बहुत साधारण सा बिल है। इस में केवल यह व्यवस्था की गई है कि जो जमीन गवर्नमेंट की है, या जिस जमीन को गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया है,—उस में कोई संधिग्धता न हो, वह वास्तव में गवर्नमेंट की हो गई हो—अगर उस पर कोई दूसरा अड्डा जमा लेता है और वहां से हटता नहीं है, तो उस को हटाने का अधिकार गवर्नमेंट को होना चाहिए। मैं नहीं समझता कि इस से भी साधारण बिल कोई हो सकता है। इसलिए मैं इस का पूरा समर्थन करता हूं।

SHRI M. H. GOWDA (Chikmagalur) : This Bill has been brought by the Government mainly to evict the people who are living in hutments and jhuggies in public premises. These people have been living there for a long time and the government or their officers have not taken care to ask them not to built their houses in those places. They have no place of their own to live and to hide their heads. A popular government has to see that the needs of the poor people are attended to, and they should not evict them from the places where these poor people are living without giving them any help.

There are many people who have bought lands, mainly the southerners, and they have not yet been given possession of the land and their land has not been measured. They have already paid for it. This Bill should not bar them with their interests. The Government should see that the lands bought by these people are measured and possession given to them at an early date.

Before evicting the people, the lands round about Delhi should be acquired and they must be given only to the people who have been evicted and who are very poor. The eviction should be made by a civil judge and not by an officer arbitrarily appointed by the government because in that case disputes may arise and there would be a wastage of time and money for both the parties. So, this eviction order, as was said by my hon. friends, should be given by court alone; if it is arbitrarily done, the people will be put to great difficulties.

With these words, I oppose the Bill.

MR. SPEAKER : The House stands adjourned to meet again tomorrow at 11.00 A.M.

18.00 HRS.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, August 7, 1968/*Sravana* 16, 1890 (*Saka*).

L34LSS/68—1-1-69—1,010—GIPF.